संख्या-2/2015/एस-3-135/दस-2015-ब(22)/2011

प्रेषक,

राज रतन,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0,
24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2015

विषय:- संस्थान के नये भूखण्ड संख्या-24/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ में एकीकृत प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत नये प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप के पत्र संख्या-योजना/44/2011/152 दिनांक 16 फरवरी, 2015, पत्रांक-योजना/44/2011/162, दिनांक 19-02-2015 तथा पत्रांक-योजना/44/2011/202, दिनांक 04-03-2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-एस-3-1515/ दस-2012-ब(22)/2011, दिनांक 26 नवम्बर 2012, शासनादेश संख्या-एस-3-758/दस-2014-ब(22)/2011, दिनांक 24-10-2013, शासनादेश संख्या- एस-3-213/दस-2014-ब(22)/2011, दिनांक 20-03-2013, शासनादेश संख्या-एस-3-645/ दस-2014-ब(22)/2011,दिनांक 18-09-2014, शासनादेश संख्या- एस-3 - 660/दस-2014-ब(22)/2011,दिनांक 30-09-2014 तथा शासनादेश संख्या-01/ 2 015- एस-3 - 805/दस-2014-ब(22)/2014, दिनांक 02-01-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के नये भूखण्ड संख्या-24/4, इन्दिरा नगर, लखनऊ में एकीकृत प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत नये प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 26-11-2012 द्वारा मूल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 1743.29 लाख को पुनरीक्षणोंपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 18-09-2013 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रू0 2105.53 लाख के सापेक्ष पूर्व में उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रू0 1700 लाख के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण लागत का 5 प्रतिशत रोकते हुए छठे किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 3,00,23,000/- (रूपये तीन करोड़ तेईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम के रूप में आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मे किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य अथवा मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित पुनरीक्षित आगणन में अंकित उच्च विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाये, ताकि निर्माण की लागत में वृद्वि न होने पाये तथा निर्माण के बीच में निर्धारित विशिष्टियों में कोई भी संशोधन नहीं किया जायेगा।

(6) निर्माण कार्य की प्रगति आख्या नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय एवं कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाय।

(7) यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुए धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही की जाय।

(8) निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत् परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
अनुसचिव।

संख्या-2/2015/एस-3-135(1)/दस-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
5- वित्त(लेखा)अनुभाग-2
6- अनुभागीय बजट पत्रावली।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।